

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हेक्टेयर वनभूमि एवं सिंगरौली वनमण्डल की 141.92 हेक्टेयर वनभूमि कुल 176.24 हेक्टेयर वनभूमि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 11.05.2023

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)